न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 82/2021

नन्दलाल आयु 47 वर्ष पुत्र मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी ढाणी ब्राह्मणान्, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

-- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

-- रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार सूरजगढ मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नन्दलाल, अ0धा0 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, मु0नं0 05/2021 निर्णय दिनांक 24.02.2021

उपस्थित:-

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 11.01.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 24.02.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं0 99 सरहद मौजा की ढाणी ब्राह्मणान तहत तहसील सूरजगढ में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट की तामिल पर्याप्त मानने में अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। तामिली रिपोर्ट सशपथ नही है। तथाकथित तामिल कुनिन्दा अपीलान्ट के घर किस तारीख को व किस समय पर गया दर्ज नही है। चस्पान्दगी का कोई आदेश नही है। अपीलान्ट के यहा अदालत मातहत से कोई तामिल कुनिन्दा नही गया और ना ही अपीलान्ट के घर पर कोई नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस पर तथाकथित गवाहान की सकुनत दर्ज नही है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत ने एकपक्षीय कार्यवाही गलत रूप से कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। निर्णय स्पीकिंग नही है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नही है। जमीन जैर बहस खसरा नं0 99 को लेकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में लम्बित है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 99 गै0मु0 रास्ते का अंकन गलत किया गया। जिसकी दुरूस्ति के लिए उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत में दावा उनवानी मदनलाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार पेश हुआ। उक्त दावा दिनांक 23.12.1998 को विड्रोल के आधार पर खारिज हुआ और दिनांक 05.12.2005 को उपखण्ड अधिकारी चिडावा के आदेश दिनांक 25.11.2005 के कम मे पुनः दर्ज हुआ। उपखण्ड अधिकारी चिडावा के आदेश दिनांक 25.11.2005 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी टिनेन्सी एक्ट संख्या 472/2006/झुंझुनूं उनवानी उम्मेद सिह वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह लम्बित है।

जिसमें दिनांक 27.01.2006 को अग्रिम कार्यवाही नही करने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया जो अस्तित्व में है। इस प्रकार आदेश जैर बहस पारित होने के रोज प्रकरण सबज्यूडीश (sub judice) रहा जिसकी जानकारी अदालत मातहत को रही है। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने गलत रिकार्ड के आधार पर निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करती तो उपरोक्त सारवान तथ्य अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष रखते। अदालत मातहत ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। तथाकथित गैरमु0 रास्ता खसरा नं0 99 मौके पर अस्तित्व में कभी रहा ही नहीं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट की तामिल प्रर्याप्त मानने में अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। तामिली रिपोर्ट सशपथ नही है। तथाकथित तामिल कुनिन्दा अपीलान्ट के घर किस तारीख को व किस समय पर गया दर्ज नही है। चस्पान्दगी का कोई आदेश नही है। अपीलान्ट के यहां अदालत मातहत से कोई तामिल कुनिन्दा नही गया और ना ही अपीलान्ट के घर पर कोई नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस पर तथाकथित गवाहान की सकुनत दर्ज नही है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत ने एकपक्षीय कार्यवाही गलत रूप से कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। निर्णय स्पीकिंग नही है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नही है। जमीन जैर बहस खसरा नं0 99 को लेकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में लम्बित है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 99 गैरमु0 रास्ते का अंकन गलत किया गया। जिसकी दुरूस्ति के लिए उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत में दावा उनवानी मदनलाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार पेश हुआ। उक्त दावा दिनांक 23.12.1998 को डिफाल्ट के आधार पर खारिज हुआ और दिनांक 05.12.2005 को उपखण्ड अधिकारी चिडावा के आदेश दिनांक 25.11.2005 के कम मे पुनः दर्ज हुआ। उपखण्ड अधिकारी चिडावा के आदेश दिनांक 25.11.2005 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी टिनेन्सी एक्ट संख्या 472/2006/झुंझुनूं उनवानी उम्मेद सिह वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह लम्बित है जिसमें दिनांक 27.01.2006 को अग्रिम कार्यवाही नही करने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया जो अस्तित्व में है। इस प्रकार आदेश जैर बहस पारित होने के रोज प्रकरण सबज्यूडीश (sub judice) रहा जिसकी जानकारी अदालत मातहत को रही है। अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करती तो उपरोक्त सारवान तथ्य अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष रखते। अदालत मातहत ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। तथाकथित गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 99 मौके पर अस्तित्व में कभी रहा ही नहीं। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम ढाणी ब्राह्मणान् स्थित विवादित भूमि ख0न0 99 रकबा 0.2800 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते मे से 0.02 हैक्टर जो कि सरकारी रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को उचित रूप से तामिल करवाई गई है। तामिल पर दो गवाहों के हस्ताक्षर है। मौके पर कटान का रास्ता है। अपीलान्ट ने रास्ते मे अवरोध पैदा किया है। विवादित भूमि के मौके पर काश्त की गई फसल को अदालत मातहत ने कुर्क कर निलाम किया है। इसी रास्ते पर एक अन्य खातेदार द्वारा अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने उसके भी मकान तोडे है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षाकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को मौजा ढाणी ब्राहम्णान की भूमि खसरा नम्बर 99 के कुल रकबा 0.2800

किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। प्रकरण में अहम बिन्दु इस प्रकार से है यथा :–

1. अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया क्योंकि अदालत मातहत ने अपीलान्ट की तामील विधिवत् तरीके से नहीं करवाई। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की तामील इस आधार पर मानी है कि अपीलान्ट मौके पर मौजूद नहीं मिलने पर नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की जाकर दो गवाहन के हस्ताक्षर नोटिस के पुश्त पर करवाये गये है। हम इस बिन्दु पर सरकारी पैराकार के तर्क से सहमत है। अतः अपीलान्ट का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। अपीलान्ट सूचना के बावजूद वह अदालत मातहत के यहां अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है।
2. अपीलान्ट का दुसरा तर्क यह रहा है विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां निगरानी टिनेन्सी एक्ट संख्या 472/2006/झुंझुनू उनवानी उमेद सिंह बनाम मदनलाल विचाराधीन चल रहीं है। विवादित आराजी के संबंध में सन् 1998 से विवाद चल रहा है। किसी भूमि के संबंध में यदि वाद विचाराधीन हो तो वहां भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपने तर्को के समर्थन में अपीलान्ट ने नजीर State of Rajasthan V/s Smt. Padmavati Devi (Dead) by LRS & Ors , Date of Order 06-04-1995 प्रस्तुत की जिसके अनुसार " Section 91 of the Act prescribes a summary procedure for evivtion of a person who is found to be in unauthorized occupation of Government land. The said provision cannot be invoked in a case where the person in occupation raises bonafide dispute about his right to remain in occupation over the land " उक्त नजीर सिवायचक भूमि की बाबत है। प्रकरण में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता है। प्रस्तुतत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।
3. प्रकरण में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि है, जो आम जन के आने–जाने हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के बिन्दु संख्या 6 में किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को प्रतिबन्धित भूमि माना है। अपीलान्ट द्वारा प्रतिबन्धित पर अतिक्रमण किया गया जिसे वैध नहीं माना जा सकता है। साथ ही दिनांक 18.03.2021 को अतिक्रमण के रूप में काश्त की गई फसल को हटाकर निलामी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा मौके पर से दिनांक 06.01.2022 को पुलिस जाप्ता के साथ रास्ता खुलवा दिया गया है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। अदालत मातहत अपने निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
11/01/22

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनू